



न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बुण्डू(राँची)

आदेश पत्रक

श्री० विलासी देवी

बनाम

विष्णु महतो वगैरह

क्र०/तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	की गई कार्रवाई
	<p>अभिलेख सं०-एम. 144/2017 धारा-107 द०प्र०सं० थाना प्रभारी बुण्डू के अप्राथमिकी सं०-43/17 दिनांक-28-10-17 प्रस्तुत पुलिस प्रतिवेदन/आवेदन से सूचना मिली है कि खाल सं० 68 प्लॉट सं० 3982 कवा 2.67 एकड़ जमीन पर 22 मि विवाद समय पल में है।</p> <p>जिससे संभावना है कि परिशांति भंग होगी या लोक परिशांति क्षुब्ध होगी या उभय पक्ष/विपक्षी कोई ऐसा असंतोषकारी कार्य करेंगे जिससे परिशांति भंग हो जाएगी या लोक परिशांति क्षुब्ध हो जाएगी।</p> <p>अतः मैं पायल राज, कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू(राँची) उक्त पुलिस प्रतिवेदन से संतुष्ट होकर उभय पक्ष/द्वितीय पक्ष के विरुद्ध द०प्र०सं० की धारा-107 के अन्तर्गत कार्यवाही आरंभ करती हूँ। उभय पक्ष/द्वितीय पक्ष के विरुद्ध सूचना निर्गत करें कि वे कारण दर्शित करें कि उन्हें एक वर्ष तक परिशांति कायम रखने के लिए उससे/उनसे प्रत्येक को 1000(एक हजार) रु० का बन्ध पत्र उसी राशि के दो जमानतदारों के साथ राशि दाखिल करने हेतु आदेश क्यों नहीं दिया जाय।</p> <p>अभिलेख तिथि 24-11-17 को उपस्थापित करें। लेखापित एवं संशोधित</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div data-bbox="300 1568 632 1767"> <p> कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू।</p> </div> <div data-bbox="911 1550 1240 1774"> <p> कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू।</p> </div> </div>	
<p>24-11-17</p>	<p>पदाधिकारी कार्य कार्य में कार्य 1 दिनांक 20-12-17 को 22/1</p>	
<p>08-12-17</p>		

(9)

पृष्ठ सं०-


तिथि


आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर

10-09-18

अभिलेख उपरचाफिस / प्रथम पल
उपलब्ध दितीय पल क्रमांक 09 उपलब्ध
अन्य अधिवक्ता धरणी / उक्त वाद में
एक माह का अवधि विस्तार किया गया
था किन्तु एक माह का समय सीमा
समाप्त होने के पश्चात वाद कालबाधित
ही गया है अतः वाद में अभिलेख की
कालावधि बन्द की जाती है।

लेखापित्र एवं संशोधित


कार्यपालक दफ्तर
गुड्ड (रांची)


कार्यपालक दफ्तर
गुड्ड (रांची)